

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

21 JUL 2016

नया रायपुर, दिनांक जुलाई, 2016

एफ 2-61/सात-2/2016 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शीघ्रलेखक वर्ग-1, स्टेनो ग्राफर एवं स्टेनो टायपिस्ट को प्रशासनिक/स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शित स्थान से कॉलम-4 में दर्शित स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	नवीन पदस्थापना स्थान	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री एस.के. वालिम्बे, शीघ्रलेखक वर्ग-1	जिला कार्यालय जाजगीर-चांपा	जिला कार्यालय बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री टी.के. बघेल, स्टेनोग्राफर वर्ग-3	कार्यालय कलेक्टर धमतरी	कार्यालय आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
3.	श्री मनोज कुमार बुरडे, स्टेनो टायपिस्ट	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नगरी, जिला-धमतरी	जिला-बालोद (कलेक्टर के विकल्प पर)	स्वयं के व्यय पर
4.	श्री पंकज कुमार मिश्रा, स्टेनो टायपिस्ट	जिला कार्यालय बीजापुर	जगदलपुर जिला बस्तर	स्वयं के व्यय पर
5.	श्रीमती अल्पा बेहरा, स्टेनो टायपिस्ट	कार्या0 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरुद जिला धमतरी	जिला कार्यालय रायगढ़	स्वयं के व्यय पर
6.	श्रीमती ललिता डहरिया, स्टेनो टायपिस्ट	तहसील कार्यालय बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा	तहसील रायपुर, जिला रायपुर	स्वयं के व्यय पर
7.	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, स्टेनोग्राफर	कलेक्टर कार्यालय कोरिया	कलेक्टर कार्यालय बलरामपुर	प्रशासनिक
8.	श्री हरेन्द्र जोशी, स्टेनो	आयुक्त कार्यालय बस्तर, जगदलपुर	कलेक्टर कार्यालय सुकमा	प्रशासनिक
9.	श्री संजय कुमार देवांगन, स्टेनो टायपिस्ट	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली, जिला महासमुंद	जिला राजनांदगांव (कलेक्टर के विकल्प पर)	स्वयं के व्यय पर

.....02

10.	श्री शांतनु बांधे, स्टेनो टायपिस्ट	तहसील कार्यालय देवभोग, जिला गरियाबंद	आयुक्त रायपुर, संभाग रायपुर	स्वयं के व्यय पर
-----	---------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------

2/ उपरोक्त सभी कर्मचारियों को संबंधित कार्यालय प्रमुख तत्काल भारमुक्त करेंगे तथा भारमुक्ति आदेश की प्रति विभाग को फैंक्स क0 0771-251,0122 अथवा ई-मेल आई.डी. revenue.cg.@nic.in पर भेजना सुनिश्चित करें ।

स्थानांतरित कर्मचारी जारी आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थान पर अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करेंगे । निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रमेश शर्मा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्र. एफ 2-61/सात-2/2016

नया रायपुर, दिनांक जुलाई, 2016

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. निज सचिव, सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय,
3. संबंधित संभागायुक्त, छ.ग.,
4. संबंधित कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
5. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी,
6. सर्व संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ,
7. राजस्व विभाग के वेबसाइट www.cg.nic.in/revenue में अपलोड हेतु,
8. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग